UPSL070008892026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्याधाधीश,चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी।
उपस्थितः आरती फौजदार (एच.जे.एस.)
(J.O. Code. U.P.6225)
जमानत प्रा0पत्र स0–21 / 2026
कम्प्यूटर पंजीयन नं0–27 / 2026

वेदराम आयु करीब 37 वर्ष पुत्र रंगी लाल निवासी सराय ज्वालापुरी थाना कुढ़फतेहगढ़ जिला सम्भल।

––––––प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, सम्भल।

––––––––अभियोजक

मु0अ0स0–237 / 2025
धारा–109(1),118(1),191(2),351(3),352,115(2) बी.एन.एस.
थाना–कुढ़फतेहगढ़, जिला सम्भल।

<u>जमानत आदेश</u>

यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी / अभियुक्त वेदराम की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–237 / 2025, धारा–109(1), 118(1), 191(2), 351(3), 352, 115(2) बी.एन.एस. थाना कुढ़फतेहगढ़ जिला सम्भल के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय जनपद न्यायाधीश से अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विचारण न्यायालय का खारिजा आदेश दिनांकित–04.02.2026 जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा देवदत्त द्वारा थाने पर इस आशय की दर्ज करायी गयी है कि दिनांक–26.12.2025 को समय 12:45 बजे प्रार्थी की मॉ मीना देवी पत्नी धर्मपाल व मुमेरी बहन किरनती पुत्री सुरेश व ऊषा पुत्री सरेश अपनी गेहूँ की फसल की आवारा पशुओं के नुसान से बचाव करने गई थी, उसी समय ग्राम सराय ज्वालापुरी थाना कुढ़फतेहगढ़ जनपद सम्भल नि0 वेदराम रोजगार सेवक व चन्द्रसैन पुत्र रंगीला उर्फ भोले ने आवारा पशु मेरे खेत में कर दिये। मेरी मॉ व बहिनों ने मना किया तो उन्हें गन्दी–गन्दी गाली देने लगे। मना करने पर मॉ व बहिनों को मारपीट करने लगे। इन्होंने ही अपने गॉव को फोन कर दिया ग्राम सराय ज्वालापुरी से घनश्याम व नन्हे पुत्रगण रंगीला उर्फ भोले, गोपाल पुत्र गोविन्द मौर्या व रितेश पुत्र नन्हे व अरविन्द व चन्द्रसैन का रिश्तेदार व 15–20 लोग अज्ञात जिनके नाम के बारे में जानकारी नहीं है। इन लोगों से प्रार्थी का मामा सूरजपाल बचाव करने आये तो उक्त लोगों ने मारपीट की और सूरजपाल का गला दवाकर जान से मारने की नीयत से वेदराम रोजगार सेवक ने धारदार हथियार से सिर पर जान लेवा हमला कर दिया। सूरजपाल के सिर में गम्भीर चोट आयी है। 112 नं0 को डायल किया फिर यह लोग जान से मारने की धमकी देते गये थे हालत नाजुक है प्रार्थी इन्हें लेकर थाने आया है।

अभियुक्त का कथन संक्षेप में है कि प्रार्थी को झूँठा एवं रंजिशन फंसाया गया है प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है। प्रार्थी ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जैसा कि उपरोक्त मुकदमे में दर्शाया गया है। वादी मुकदमा का गॉव प्रार्थी के गॉव से मात्र 03 कि0मी0 की दूरी पर है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा के द्वारा घटना प्रार्थी के गॉव की दर्शायी गयी है जिससे साबित होता है कि वादी मुकदमा ही प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिवारजन के साथ मारपीट करने के उद्देश्य से प्रार्थी के गॉव आया था। वादी मुकदमा के द्वारा घटना दिनांक–26.12.2025 को समय करीब 01:00 दोपहर की दिखायी गयी है जिस घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी के भाई नन्हे ने सुरेश, सुरेश का पुत्र व अशोक दिवाकर के विरूद्ध मु0अ0सं0–238 / 2025 धारा–351(3), 352, 115(2) बी0एन0एस0 थाना कुढ़फतेहगढ़ जिला सम्भल पर पंजीकृत कराया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट

Digitally signed by ARTI FAUZDAR
Date: 2026.03.07 15:27:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त घटना में प्रार्थी के भाई नन्हे के गम्भीर चोटें आयी व पुलिस द्वारा नन्हे का मेडिकल कराया गया जिसमें नन्हे को एक्सरे के लिये रैफर किया गया नन्हे की चिकित्सीय रिपोर्ट में बांया हाथ में फ्रैक्चर होना पाया गया व पूरे शरीर पर अन्य बहुत सी चोटें पायी गयी। प्रार्थी ने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही किसी को जान से मारने की नीयत से गला दबाने का प्रयास किया है न ही किसी के साथ कोई गाली गलौच की है। उक्त मुकदमे में चुटैल सूरजपाल को आयी चोटें डॉक्टरी परीक्षण में सामान्य प्रकृति की आना बताया गया है। प्रार्थी उपरोक्त घटना के समय अपने काम पर था गॉव में मौजूद नहीं था प्रार्थी का उपरोक्त मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी के ऊपर लगाये गये सभी आरोप मिथ्या तथ्यों पर आधारित है एवं निराधार है। प्रार्थी का अग्रिम जमानत न्यायालय से बल न देने के कारण दिनांक–04.02.2026 को नॉट प्रेस कर लिया गया है। प्रार्थी दिनांक–03.02.2026 से जिला कारागार मुरादाबाद में निरूद्ध है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही प्रार्थी सजायाफता है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियुक्त के पैरोकार रामवीर पुत्र रतनलाल द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि अभियुक्त वेदराम की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अभियुक्त वेदराम की ओर से इससे पूर्व कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल नहीं हुआ है और न ही विचाराधीन है।

वादी देवदत्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुये जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, सम्भल द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर एकराय मशवरा होकर वादी मुकदमा देवदत्त की मॉ, मुमेरी बहन किरनती व ऊषा के साथ गाली गलौच करते हुये लाठी, डन्डों से मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। डॉ0 द्वारा मेडिकल रिपोर्ट में वादी मुकदमा की मॉ चुटैल श्रीमती मीना व मुमेरी बहनों किरनवती व ऊषा व मामा सूरजपाल को कोई प्राणघातक चोट न होने का उल्लेख किया गया है तथा साथ ही एक्सरे रिपोर्ट में भी कोई फ्रैक्चर न होने का उल्लेख किया गया है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य अभियोजन की ओर से प्रकट नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक–03.02.2026 से जिला कारागार मुरादाबाद में निरूद्ध है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, साक्ष्य के गुण–अवगुण पर जाये बिना, इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अभियुक्त वेदराम का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पचास–पचास हजार रूपये के दो जमानती तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल किये जाने पर अभियुक्त को दौरान वाद निम्न शर्तो पर जमानत पर रिहा किया जाये–

1–अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

2–अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।

3–अभियुक्त जमानत पर छूंटने के पश्चात अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।

दिनांक–07.03.2026

(आरती फौजदार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौसी,
सम्भल स्थित चन्दौसी।